संख्या 68/VI-2/2015-8(11)07

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रारद निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 22 जनवरी, 2015**

विषय :– खेल मैदान निर्माण हेतु मानक निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1273/मिनी स्टे0./2014–15 दिनांक 21.01.15 के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेल मैदान निर्माण हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित दिशा–निर्देशों/मानकों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. भूमि की निःशुल्क व्यवस्था प्रशासनिक विभाग (युवा कल्याण) के द्वारा की जाएगी। इसमें ऐसी भूमि भी सम्मिलित की जा सकती है, जो दानदाता द्वारा युवा कल्याण विभाग को दान में उपलब्ध करायी गयी हो।

2. सामान्यतः खेल मैदान ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित किया जायेगा। जिस भूमि को पूर्व से ही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे खेलने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, उसी भूमि को प्रथमतः खेल मैदान के रूप में निर्मित किये जाने पर विचार किया जायेगा। ग्राम पंचायत/ग्राम समाज की भूमि राजस्व अभिलेखों में युवा कल्याण विभाग के नाम पर दर्ज हो जाने के उपरान्त उस पर खेल मैदान का निर्माण किया जा सकता है अथवा किसी शिक्षण संस्थान यथा हायर सेकेन्ड्री स्कूल/इण्टर कॉलेज/डिग्री कॉलेज की भूमि पर, उनके द्वारा प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायें जाने की दशा में, भी खेल मैदान का निर्माण किया जा सकता है।

3. खेल मैदान का निर्माण ग्राम पंचायत स्तर पर आबादी वाले क्षैत्रों मे ही किया जायेगा।

4. पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 01 एकड़ एवं मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 1.5 एकड़ भूमि पर खेल मैदान का निर्माण किया जायेगा। खेल मैदान के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से शासन द्वारा प्रति खेल मैदान निर्माण हेतु निर्धारित धनराशि की सीमा के भीतर रहते हुये यथासम्भव 04 से 06 फुट ऊँची बाउन्ड्रीवॉल (10 से 15 फुट चौडाई के गेट सहित) भी बनायी जा सकती है।

5. खेल मैदान का निर्माण किसी भी दशा में चाल, खाल, नदी, नाले गाढ़, गदेरे, शमशान के समीप अथवा चट्टानी/पथरीली भूमि पर नहीं किया जायेगा।

6. खेल मैदान योजना के अन्तर्गत् ग्रामीण खेल जैसे–एथलैटिक्स, कुश्ती, जूडो, कबड्डी, खो–खो, भाला फेंक, गोला फेंक, चक्का फेंक, फुटबॉल, ताईक्वांडो, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, हैण्डबॉल, बास्केटबॉल, आर्चरी (धनुषबाजी) इत्यादि के आयोजन हेतु न्यूनतम अवस्थापना सुविधायें (कोर्ट एवं उनमें लगने वाले पोल) सुनिश्चित की जानी होगी।

7. खेल मैदान की सुरक्षा हेतु पी.आर.डी. स्वंय सेवक की तैनाती की जायेगी, जिनके ड्यूटी भत्ते का भुगतान सम्बन्धित जिले की जिला योजना के समाज सेवा सुरक्षा कार्य मद से किया जायेगा।

8. खेल मैदान में प्रतिदिन खेल गतिविधियों (कुश्ती, खो–खो, गोला फेंक, चक्का फेंक, बॉल थ्रो, लम्बी/लम्बी कूद, कबड्डी, बॉलीबॉल, बैडमिन्टन, चिनअप, पुशअप) का संचालन हो, इसके लिये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रशिक्षक/कोच की तैनाती की जायेगी। इस हेतु कोच को जिले की जिला योजना की व्यायामशाला निर्माण मद से प्रतिमाह निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षक/कोच के द्वारा खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करते हुए समय–समय पर यथा प्राप्त निर्देशानुसार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा।

9. प्रतिवर्ष खेल उपकरणों के क्रय हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को सम्बन्धित जिले की जिला योजना की व्यायामशाला निर्माण मद से रू0 4,000.00 मात्र की धनराशि दी जायेगी, जिससे खिलाड़ियों के उपयोगार्थ विभिन्न खेल सामग्रियों का क्रय किया जा सकेगा।

10. खेल मैदान निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि खेल मैदान यथासंभव इस प्रकार से निर्मित किया जाये कि उन पर I.T.B.P, C.R.P.F, C.I.S.F, B.S.F, R.P.F, ASSAM RAIFAL इत्यादि संस्थाओं में होने वाले Physical का अभ्यास युवाओं को कराया जा सके।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों/मानकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 65/VI-2/2015–5(11)07, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनुसचिव